

三

जहाँ सम्बन्धित को इस नोटिस के माध्यम से अवगत कराया जाता है कि दिनांक 20.09.2002 को तत्कालीन कार्यालय परिवहन आयुक्त, हरियाणा दो भागों अर्थात् रेग्युलेटरी विंग (सार्ज एवं परिवहन नियंत्रक) तथा कमर्शियल विंग (परिवहन आयुक्त) में विभाजित हुआ। दर्व 2002 में रेग्युलेटरी विंग की स्थापना के समय इस विंग के कार्य को सुचारू रूप से चलाने हेतु विभिन्न वर्गों के 49 पद कॉम्पैन काडर से स्थानान्तरित किए गए। परंतु अब तक दोनों विभागों को कॉम्पैन काडर के दिए गए पदों के अनुसार कर्मचारियों का विभाजन नहीं हुआ है। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि उपरोक्त वर्षीय स्थिति अनुसार दिनांक 01.03.2003 की स्थिति के अनुसार स्टाफ का विभाजन कर दिया जाए। स्टाफ का विभाजन सम्बन्धित वर्ग की वरिष्ठता सुचि के अनुसार किया जाएगा। कर्मचारियों का बंटवारा निम्न प्रक्रिया के अनुसार किया जाना है—

1. केवल कॉमन कॉर्डर अर्थात् अधीक्षक, उप अधीक्षक, सहायक सचिव, निजि सहायक, सांख्यकीय सहायक, वरिष्ठ लेखाकार, सहायक, लेखाकार, जूनियर अडिटर, उप परिवहन निरीक्षक, सिनियर स्केल रस्टेनोग्राफर, जूनियर स्केल स्टैनोग्राफर, रस्टेनोटाईफर, लिपिक, रटाफ कार चालक, सेवादार, चौकीदार तथा सफाई कर्मचारी के पदों पर दोनों विभागों में कार्यपत्र कर्मचारियों का विभाजन किया जाना है।
  2. प्रत्येक पद के लिए पहले किस विभाग को कर्मचारी दिया जाना है वा निर्णय ढां आफ लाटस के द्वारा किया जाएगा।
  3. कर्मचारियों का बंटवारा दोनों विभागों को अबंटित किए गए पदों को संख्या के अनुपात में किया जाएगा।
  4. अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।
  5. कर्मचारियों के विभाजन की प्रक्रिया वरिष्ठता सम्बन्धित मुद्रों के निपटान के अधीन होती।

विभाजन की कार्यवाही प्रधान सचिव, परिवहन की अध्यक्षता में कमेटी रुम, दिनांक 17.05.2013 को प्रातः 11.30 बजे 6वां तल, नया सचिवालय, नजदीक बस स्टैण्ड, सैकर-17, चण्डीगढ़ में होगी।

दिनांक: 14.05.2013

अरुण कुमार,  
महानिदेशक, राज्य परिवहन  
हरियाणा चूणडीगढ़।

पा० कमांक

3835-60

दिनांक: १४-५-१३

- प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार परिवहन विभाग।
  - सभी अधिकारी कार्यालय महानिदेशक राज्य परिवहन एवं परिवहन आयुक्त हरियाणा।
  - सभी सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, हरियाणा राज्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
  - प्रधान, हरियाणा परिवहन स्टाफ वेलफेयर एशोसिएशन 30 बैज बिलिंग, सैकटर-17, चंडीगढ़।
  - वेबसाइट - कार्यालय DG & TC  
मर्यादान्वय के सभी नोटिस बोर्ड।

कृते: महानिदेशक, राज्य परिवहन  
लोडीज हरियाणा, बण्डीगढ़।